पत्रांक–04 / HFA-09/2018- 1758 /न0वि0एवंआ0वि0

निबंधित डाक

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक

मुख्य सचिव,
बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 08/07/19

विषयः– **जिला अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में मलीन बस्तियों एवं सरकारी भूमि पर आवासीत परिवारों को चिन्हित कर उनके पुर्नवास हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत राज्य के सभी नगर निकायों में मिशन अवधि 2022 तक सभी पात्र परिवारों के लाभुकों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना हैं। योजना अंतर्गत दो घटक **भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership) एवं स्वस्थाने स्लम पुनर्विकास (In-situ Slum Redevelopment)** के कार्यान्वयन हेतु राज्य का **किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017** अधिसूचित (नगर विकास एवं आवास विभाग के बेबासाइट पर उपलब्ध)है। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रारूपों (Models) में बहुमंजिली भवन बनाकर पात्र लाभुकों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाना है। इस नीति की कंडिका–5.3 के प्रावधान के अनुरूप परियोजना का अनुश्रवण करने, सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक निर्णय लेने तथा पात्र लाभुकों की सूची को अंतिम रूप देने, परियोजना विकास एजेंसी को समर्थ बनाने, विवादों का समाधान करने आदि के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय योजना एवं अनुश्रण समिति, **(District Level Planning and Monitoring Committee - DLPMC)** का गठन किया गया है एवं विभागीय अधिसूचना सं0–2153 दिनांक–19.09.2017 (प्रति संलग्न) से अधिसूचित है।

लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद राज्य में उपरोक्त दो घटकों में अबतक कोई प्रगति नहीं हो पायी है, शहरी क्षेत्रों के मलीन बस्ती में तथा सरकारी भूमि को अतिक्रमित कर काफी लोग आवासित है, उन्हे इस योजना के अंतर्गत पक्का घर उपलब्ध कराया जाना है। PMAY(U) योजना के वर्णित दोनो घटकों के प्रवधान के अनुसार शहरी क्षेत्रों को मलीन बस्तीयों एवं सरकारी भूमि पर आवासित पात्र परिवारों को, यदि उसी भूमि पर बहुमंजिली आवास बनाकर आवासित करना संभव (Tenable) हो, तो उसी स्थान पर तथा यदि उसी स्थान पर बहुमंजिली भवन बनाना संभव नही (Untenable) हो, तो उसके लिए शहरी क्षेत्रों या उसके आस–पास के क्षेत्रों में भूमिचिहिन्त करके, वहाँ बहुमंजिली भवन बनाकर वैसे लाभुकों को आवासित किया जाना है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक–06.06.2019 को नगर विकास एवं आवास विभाग के समीक्षा के दौरान शहरी क्षेत्रों के मलीन बस्तियों एवं सरकारी भूमि पर आवासित लोगों को चिन्हित करके वैसे लाभुकों को पुनर्वास हेतु भूमि का पहचान करके भू–अर्जन का प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया है।

वर्णित के संबंध में शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर आवासित परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर निम्न् कार्रवाई किया जाएः–

(i) अपने जिले के शहरी क्षेत्रों के मलीन बस्तियों तथा सरकारी भूमि पर आवासित परिवारों को चिन्हित कर वैसे लाभुकों को आधार नम्बर के साथ सूचीबद्ध कर लिया जाय। इसके लिए नगर विकास के कर्मियों तथा जिला के कर्मियों एवं दंडाधिकारी का सर्वेक्षण का कार्य कराया जाए।

लाभुकों को सर्वेक्षण करते समय लाभुक का परिवार के साथ धर के सामने फोटो लेकर तथा पति एवं पत्नी का आधार नम्बर के साथ लाभुको की सूची को Computerized करा लिया जाए।

(ii) पात्र लाभुकों का यदि उसी आवासिय भूमि पर बहुमंजिली भवन बनाकर आवासित कराना संभव (Tenable) हो तो उस भूमि का संबंधित निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करके DLPMC से पारित कराकर लाभुकों की सूचि एवं भूमि के विवरण के साथ प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाये। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के SLTC कर्मी तथा परामर्शी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) पात्र लाभुकों का यदि आवासित भूमि पर बहुमिंजली भवन बनाकर आवासित कराना संभव नही (Untenable) हो, तो पात्र लाभुकों का पुनर्वास करने हेतु नगर निकाय के क्षेत्र में अथवा आस–पास के क्षेत्रों में भूअर्जन हेतु भूमि को चिन्हित करा लिया जाय। भूमि को चिन्हित करते समय प्रति परिवार 12–14 वर्ग मीटर (प्रति किफायती आवासीय इकाई – 30 वर्ग मी0 की दर से (G+5) बहुमंजिली भवन निर्माण एवं Circulation Space का प्रावधान करने के लिए न्यूनतम) की दर से पात्र लाभुकों की संख्या के आधार पर भूमि के कुल क्षेत्रफल का गणना किया जा सकता है ।

(iv) चिन्हित लाभुकों की सूची एवं चिन्हित भूमि को **जिला स्तरीय योजना एवं अनुश्रण समिति (DLPMC)** से पारित कराकर, भू–अर्जन का प्रस्ताव नगर विकास एंव आवास विभाग को भेजा जाय।

(v) इस कार्यों में नगर निकायों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी एवं आवश्यकतानुसार अन्य कर्मियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

मुख्य सचिव,
बिहार।